उत्तरांचल राज्य व अन्य

बनाम

प्रांतीय सिंचाई एवं बांध योजना श्रमिक महापरिषद

12 अक्टूबर, 2007

{डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, न्यायाधिपतिगण}

श्रम कानून।

नियमितीकरण - छह वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी जिन्होंने प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे किए थे, ने नियमितीकरण के लिए दावा किया जो श्रम न्यायालय ने स्वीकार किया, आदेश उच्च न्यायालय ने भी पुष्ट किया। अपील पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियमितीकरण के लिए कोई निर्देश दिए जाने से पूर्व इस बारे में तथ्यात्मक स्थिति पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या कोई स्वीकृत पद था। इस तरह के तथ्यात्मक विवरणों पर न तो श्रम न्यायालय, न ही उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा की गई। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करने और मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को श्रम न्यायालय को वापस भेजा गया।

प्रश्नगत 14 श्रमिक छह साल से अधिक समय से दैनिक वेतन पर काम कर रहे थे और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे कर चुके थे।

वर्तमान अपील में उत्पन्न विचारणीय प्रश्न यह था कि “क्या उन्हें नियमित किया जाना चाहिए?”

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि स्वतः नियमितीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। ”नियमित“ या “नियमितीकरण“ शब्दों का अतिरिक्त अर्थ स्थायीकरण नहीं है तथा न ही यह अर्थ नियुक्तियों के कार्यकाल की प्रकृति के संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए लगाया जा सकता है। वे किन्हीं प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को दूर करने के लिए गणना की गई शर्तें हैं तथा नियुक्तियां करने हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के कारण हुए दोषों को ही दूर करने के लिए होती हैं। इसके अलावा जब संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत् बने नियम लागू होते हैं तो उनके उल्लंघन में सरकार को अनुच्छेद 162 के अंतर्गत प्राप्त कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में भी कोई नियमितीकरण स्वीकार्य नहीं है।

केवल चयन की प्रक्रिया के तत्वों में से वह तत्व जो अनुपालन के अभाव में अनियमित है व जो प्रक्रिया की जड़ तक नहीं जाता, वह और केवल वही नियमित किया जा सकता है तथा रोजगार के स्थायीकरण को मान्यता दिया जाना इससे सर्वथा भिन्न है एवं इसकी नियमितीकरण से तुलना नहीं की जा सकती। {पैरा 8 एवं 9} {190 एफ-एच, 191 ए-बी}

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी (3) व अन्य (2006) 4 एससीसी 1 एवं बी.एन. नागराजन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (1979) 4 5सीसी 507, पर निर्भर।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत् 240 दिनों का काम पूरा होना नियमितीकरण का अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह केवल सेवा की समाप्ति के समय नियोक्ता पर कुछ दायित्व अधिरोपित करता है। केवल इसलिए कि एक व्यक्ति 240 दिनों से अधिक समय से काम कर रहा था, सेवा में नियमित होने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं करता है। {पैरा 10, 191 सी-डी}

माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अनिल कुमार मिश्रा व अन्य (2005) 5 एससीसी 122; एम.पी. हाऊसिंग बोर्ड व अन्य बनाम मनोज श्रीवास्तव (2006) 2 एससीसी 702; गंगाधर पिल्लई बनाम सिमन्स लिमिटेड (2007) 1 एससीसी 533; इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्टूटिकल्स लिमिटेड बनाम कामगार, भारतीय ड्रग्स एण्ड फार्मास्टूटिकल्स लिमिटेड (2007) 1 एससीसी 408 एवं हिंदुस्तान एयरोनाॅटिकस लिमिटेड बनाम दान बहादुर सिंह व अन्य (2007) 6 एससीसी 207, पर निर्भर।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि कुछ संबंधित कर्मियों को नियमित कर दिया गया है। नियमितीकरण के लिए कोई भी निर्देश दिए जाने से पहले तथ्यात्मक स्थिति पर गौर करना होगा कि क्या कोई स्वीकृत पद था।

जाहिर है, वर्तमान मामले में, इन तथ्यात्मक विवरणों पर श्रम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा नहीं की गई है। इसलिए तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करने और उमा देवी के मामले और हिंदुस्तान एयरोना◌ॅटिक्स के मामले में जो कहा गया है, उसके आलोक में मामले को नए सिरे से तय करने के लिए मामला ट्रिब्यूनल को भेजा जाता है। {पैरा 12} {192 सी-डी}

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी (3) व अन्य (2006) 4 एससीसी 1 एवं हिंदुस्तान एयरोनॉटिकस लिमिटेड बनाम दान बहादुर सिंह व अन्य (2007) 6 एससीसी 207, पर निर्भर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - सिविल अपील संख्या 4856/2007.

रिट याचिका संख्या 4894/2001 में उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांकित 10.08.2005 से।

पी.एन. गुप्ता, अपीलार्थियों की ओर से।

भारत संगल, साम्यदीप चटर्जी बनाम ए. रामकृष्णन प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति के द्वारा दिया गया था।

अनुमति प्रदान की गई।

इस अपील में उत्तरांचल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

तथ्यात्मक स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है: विवाद उत्पन्न होने के आधार पर, श्रम न्यायालय, हलद्वानी, उत्तरप्रदेश को न्यायनिर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न निर्देशित किया गया था: "क्या नियोक्तओं द्वारा अनुसूची में उल्लिखित 14 सदस्यों का नियमितीकरण न किया जाना अनुचित है या असंगत है। यदि हां, संबंधित कर्मचारी किस राहत/लाभ के हकदार है, किस तारीख से और किन अन्य विवरणों के साथ?"

नियोक्ता ने यह रूख अपनाया कि संबंधित कर्मचारी को समय-समय अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जा रहा था एवं स्वीकार्य वेतन व अन्य लाभ का भुगतान किया जा रहा था। किसी भी प्रकार के नियमितीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। श्रम न्यायालय ने पाया कि सरकार द्वारा पद सृजित न करने के कारण कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। श्रमिकों का कहना था कि सिंचाई विभाग में कई स्थायी पद रिक्त पड़े हैं। श्रम न्यायालय ने तदनुसार निर्देश दिया कि संबंधित श्रमिकों को वेतन और अन्य लाभों का भुगतान किया जाना चाहिए उन्हें श्रम न्यायालय के निर्णय की तिथि से नियमित माना जाएगा। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि गैर-नियमितीकरण अवैध था।

उत्तरांचल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसे विवादित आदेश द्‍वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय का विचार था कि प्रश्नगत सभी 14 कर्मचारी छह साल से अधिक समय से दैनिक वेतन पर काम कर रहे थे और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे कर चुके थे और उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी गई।

अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्‍वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्‍वारा दिए गए निर्देश स्पष्ट रूप से इस न्यायालय की संविधान पीठ द्‍वारा सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी (3) व अन्य (2006) 4 एससीसी 1 में कही गई बातों के विपरीत थीं।

दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्‍वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संबंधित श्रमिकों ने छह वर्षों में से प्रत्येक में 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था इसलिए वे नियमित होने के हकदार थे। श्रम न्यालालय के आदेश के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया कि उन्हें स्वीकृत मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जा रहा था। तर्क दिया गया कि इससे यह स्पष्ट है कि स्वीकृत पद थे।

उक्त उमा देवी के मामले में नियमितीकरण से संबंधित मुद्दे की विस्तार से जांच की गई। जिसमें अनिवार्य रूप से यह माना गया कि किसी भी स्वतः नियमितीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं था।

बी.एन. नागराजन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (1979) 4 5 एससीसी 507, में यह माना गया कि "नियमित" या "नियमितीकरण" शब्दों का अतिरिक्त अर्थ स्थायीकरण नहीं है तथा न ही यह अर्थ नियुक्तियों के कार्यकाल की प्रकृति के संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए लगाया जा सकता है। वे किन्हीं प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को दूर करने के लिए गणना की गई शर्तें हैं तथा नियुक्तियां करने हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के कारण हुए दोषों को ही दूर करने के लिए होती हैं। इसके अलावा जब संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत् बने नियम लागू होते हैं तो उनके उल्लंघन में सरकार को अनुच्छेद 162 के अंतर्गत प्राप्त कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में भी कोई नियमितीकरण स्वीकार्य नहीं है। इस दृष्टिकोण को उक्त उमा देवी के मामले में संविधान पीठ द्वारा पैरा संख्या 16 में अनुमोदित किया गया है। जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि केवल चयन की प्रक्रिया के तत्वों में से वह तत्व जो अनुपालन के अभाव में अनियमित है व जो प्रक्रिया की जड़ तक नहीं जाता, वह और केवल वही नियमित किया जा सकता है तथा रोजगार के स्थायीकरण को

मान्यता दिया जाना इससे सर्वथा भिन्न है एवं इसकी नियमितीकरण से तुलना नहीं की जा सकती।

अगला सवाल जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि "क्या एक वर्ष में 240 दिन पूरे करने से किसी कर्मचारी या कामगार को सेवा में नियमितीकरण का दावा करने का कोई अधिकार मिल जाता है?"

माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अनिल कुमार मिश्रा व अन्य (2005) 5 एससीसी 122 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत् 240 दिनों का काम पूरा होना नियमितीकरण का अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह केवल सेवा की समाप्ति के समय नियोक्ता पर कुछ दायित्व अधिरोपित करता है। केवल इसलिए कि एक व्यक्ति 240 दिनों से अधिक समय से काम कर रहा था, सेवा में नियमित होने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं करता है। एम.पी. हाऊसिंग बोर्ड व अन्य बनाम मनोज श्रीवास्तव (2006) 2 एससीसी 702 के पैरा संख्या 17 पहले के कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद यह दोहराया गया है कि यह सुस्थापित है कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति 240 दिनों से अधिक समय से काम कर रहा था, उसे लाभ नहीं मिला है, सेवा में नियमित होने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह दृष्टिकोण गंगाधर पिल्लई बनाम सीमन्स लिमिटेड (2007) 1 एससीसी 533 में दोहराया गया

है। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्टूटिकल्स लिमिटेड बनाम कामगार, भारतीय ड्रग्स एण्ड फार्मास्टूटिकल्स लिमिटेड (2007) 1 एससीसी 408 में एक सरकारी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के संदर्भ में इसी प्रश्न को काफी विस्तार से जांच की गई है एवं पैरा 34 व 35 पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

> "34-इस प्रकार से यह अच्छी तरह से तय है कि किसी भी दैनिक वेतनभोगी को नियमितीकरण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। नियमितीकरण केवल नियमों के अनुसार किया जा सकता है, नियमों से परे जाकर नहीं किया जा सकता है। ई. रामकृष्णन व अन्य बनाम केरल राज्य व अन्य (1996) 10 5 एससीसी 565 के मामले में इस न्यायालय ने माना है कि नियमों से परे कोई नियमितीकरण नहीं हो सकता है। यही दृष्टिकोण डॉ. किशोर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1997) 3 एससीसी 209 एवं भारत संघ व अन्य बनाम बिशंभर दत्त (1996) 11 एससीसी 341 में अपनाया गया वे व्यक्ति जो नियमों के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किए गए थे, उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए सेवा न्यायाधिकरण द्वारा जारी

निर्देश को रद्द कर दिया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता लंबे समय से नियमित रूप से काम कर रहे थे।

35-डॉ सुरिंदर सिंह जामवाल व अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य व अन्य एआईआर (1996) एसएस 2775 में यह माना गया कि तदर्थ नियुक्ति, नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं देती हैं क्योंकि नियमितीकरण वैधानिक नियमों द्वारा शासित होता है।"

उपर्युक्त स्थिति पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम दार बहादुर सिंह व अन्य (2007) 6 एससीसी 207 में प्रकाश डाला गया।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि कुछ संबंधित श्रमिकों को नियमित कर दिया गया है। नियमितीकरण के लिए कोई भी निर्देश दिए जाने से पहले, तथ्यात्मक स्थ्ज़िति पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या कोई स्वीकृत पद था। जाहिर है, वर्तमान मामले में, इन तथ्यात्मक विवरणों पर श्रम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा नहीं की गई है। इसलिए हम, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करने एवं उक्त उमा देवी एवं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स मामले में जो कहा गया है उसके आलोक में मामले को नए सिरे से तय करने के लिए हम मामले को न्यायाधिकरण को प्रेषित करते हैं।

शास्ति के संबंध में कोई आदेश किए बिना उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

बी.बी.बी. अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आशुतोष सिंह आढ़ा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।